न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बंशीधर योगी (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 58 / 2020

सरकार बनाम सरोज पत्नी जयवीर,जाति–मेधवाल, निवासी–पन्नेसिंहपुरा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 28.10.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप मामला इस प्रकार से है। कि गैर सायल सरोज पत्नी जयवीर,जाति–मेधवाल निवासी–पन्नेसिंहपुरा द्वारा रोही मोजा पन्नेसिंहपुरा कि राजकीय भूमि ख.नं. 159/7 के कुल रकबा 6.29 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01है0 भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से एडवोकेट हवासिंह चौहान ने अभिभाषक पत्र पेश किये गये। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अभिभाषक की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये गये। दिनांक 28.10.2020 को बार बार आवाज लगवाने पर भी अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। चूकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी /गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० लै० स० 4 के पृष्ठ सं.........22..........पर
वर्ष 2020-21 में रूपये 5/— कायम किए
राजस्व लेखाकार

(बंशीधर योगी)
तहसीलदार, सूरजगढ़